

**कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर**

क्रमांक/रिमाण्ड ड्यूटी/2023/07

दिनांक:- 17.03.2023

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं माननीय माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव क्रमांक 9457 दिनांकित- 17.03.2023 की अनुपालना में माह अप्रैल एवं मई 2023 की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 अंकित अवकाश की दिनांकों में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के लिए फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु कॉलम संख्या-3 में अंकित पीठासीन अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

क्रम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम एवं पद
1	02.04.2023	श्री सुजीत कुमार तवर, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-1,अजमेर
2	03.04.2023	श्री सुजीत कुमार तवर, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई.एक्ट प्रकरण), संख्या-1,अजमेर
3	07.04.2023	वैभव सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1,अजमेर।
4	08.04.2023	वैभव सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1,अजमेर।
5	09.04.2023	वैभव सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1,अजमेर।
6	14.04.2023	श्री यश विश्‍नोई, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (उत्तर),अजमेर
7	16.04.2023	श्री यश विश्‍नोई, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (उत्तर),अजमेर
8	22.04.2023	तन्वी माथुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2,अजमेर
9	23.04.2023	तन्वी माथुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2,अजमेर
10	30.04.2023	आस्था अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-5,अजमेर
11	07.05.2023	श्रीमती अंकिता दायमा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर (पूर्व), अजमेर
12	13.05.2023	श्रीमती सोनल मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-06, अजमेर
13	14.05.2023	श्री पुरुषोत्तम मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-03,अजमेर
14	21.05.2023	श्री मुकेश कुमार मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (पश्चिम),अजमेर।
15	22.05.2023	श्री मुकेश कुमार मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर (पश्चिम),अजमेर।
16	27.05.2023	सुश्री अंशुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4,अजमेर
17	28.05.2023	सुश्री अंशुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4,अजमेर

**नोट-**

01 उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्यदिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

02 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।

— 81 —  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
अजमेर